न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(71)

समक्ष : एस0एस0अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1594–दो/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 06–07–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–683/1992–93

.....

अरूण कुमार पुत्र राजधर
निवासी– ग्राम मांजन(मानिकराम) तह0 हनुमा
जिला–रीवा,

------आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती चन्द्रकान्ती देवी धर्मपत्नी श्यामदार
निवासी– ग्राम मांजन(मानिकराम) तह0 हनुमा
जिला–रीवा
2– गोविन्दप्रसाद तनय रामदुलारे (मृतक)

------अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/11/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक 683/1992–93 पारित आदेश दिनांक 06–07–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, जमुना प्रसाद ने ग्राम खरखरी स्थित विवादित भूमि में से अपने हिस्से की भूमि 1/2 को दिनांक 29.08.1991 के वसीयत द्वारा अरूण कुमार के हित में वसीयतनामा सम्पादित किया । जमुनाप्रसाद की मृत्यु 30.09.1991 को हो गई । आवेदक अरूण कुमार में जमुना प्रसाद की मृत्यु हाने पर विवादित भूमि 1/2 पर

नामांतरण कराने हेतु आवेदन–पत्र नायब तहसीलदार वृत्त पहाड़ी तहसील हनुमान न्यायालय में प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्र0 44/अ–6/91–92 पर कायम होकर आदेश दिनांक 25.01.1991 के द्वारा नामांतरण स्वीकार किया गया । जिससे परिवेदित होकर रामकली बेवा जमुनाप्रसाद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा दिनांक 14.07.93 को अपील निरस्त की गई । उक्त आदेश से परिवेदित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश दिनांक 06.07.2001 को पारित करते हुये अपील स्वीकार की । उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि वादग्रस्त भूमि का नामांतरण नायब तहसीलदार ने आवेकिदका के (मृतक) पति के वासियतनामे के आधार पर किया । अपर आयुक्त रीवा द्वारा वसीयतनामें को रजिस्टर्ड नहीं कराने के आधार पर अबैध माना है जो कानून के खिलाफ है । वसीयतनामा रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है । वसीयतनामें का प्रभाव वसीयत कर्ता की मृत्यु के बाद होता है और उसके बाद ही वसीयत ग्रहीता का अधिकार उत्पन्न होता है । वसीयतकर्ता वसीयतनामा को गोपनीय रखता है । वसीयतनामा को तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा सही माना है और वसीयतनामा पर दी गई फाईडिंग, फाईडिंग और फैक्ट होने के कारण द्वितीय अपील, न्यायालय पर बन्धन कारक प्रभाव रखती है । इसलिये अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदक के अभिषक श्री आर0डी0 शर्मा द्वारा अपने तर्क में बताया कि जिस वादग्रस्त भूमि का नामांतरण नायब तहहसीलदार ने चन्द्रकान्ति देवी (मृतक) के पति के वसीयतनामे के आधार पर किया है, वह संदिग्ध है । उसे नामांतरण की कोई सूचना नहीं मिली थी । वसीयतकर्ता कैसे अपनी जीवित पत्नी के लिये कुछ भी छोड़ने का विचार न कर पूरी सम्पत्ति आवेदक को वसीयतनामे में दे देता, यह विचारणीय प्रश्न है । यदि उसे नामांतरण की सूचना मिलती तो वह अवश्य न्यायालय में उपस्थित होती । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध

आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ अपील दायर की । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 14.07.93 को अपील खारिज की गई । इसके विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जो 06.07.2001 को स्वीकार की गई । अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत है। इसमें हस्तक्षेप की आवश्यता नहीं है । अतः अनावेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषकगणों के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार की पूरी कार्यवाही अत्यन्त सतही तौर पर की गई है । अनावेदक को तामील शुदा नोटिस सन्देहस्पद है, जो नोटिस के गवाह है हस्ताक्षर नहीं मिलता है या जानबूझकर बिगाड़ कर हस्ताक्षर बनाया गया है । वसीयतनामा का पंजीयन नहीं कराया गया । वसीयतकर्ता के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि का नामांतरण नहीं कराया गया । यह प्रश्न विचारणीय है कि वसीयतकर्ता अपनी पत्नी के लिये कोई भूमि नहीं छोड़ता । निःसन्देह वसीयतनामा संदिग्ध है। क्योंकि वसीयत की जानकारी पत्नी तक को नहीं हुई यह आश्चर्यजनक है, और ऐसे संदिग्ध वसीयतनामे के आधार पर की गई नामांतरण की कार्यवाही विधि के विपरीत है, जो नायब तहसीलदार को नहीं करना चाहिये था । नायब तहसीलदार को चाहिये था कि वे अनावेदक को नये सिरे से पुनः नोटिस जारी करते तत्पश्चात नामांतरण की कार्यवाही करते । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी उपरोक्त तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया गया । उपरोक्त परिस्थितियों में अपर आयुक्त रीवा ने अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को अपने आदेश दिनांक 06.07.2001 से निरस्त किया है और अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की गई, जो कि उचित है ।

6/ मेरे मतानुसार नायब तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी को नामांतरण की कार्यवाही करते समय संहिता की धारा–109/110 का अवलोकन करना चाहिये था । संहिता की धारा 109/110 के तहत नामांतरण की कार्यवाही में भूमि से संबंधित किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा हित का विचार हो सकता है । इसके अतिरिक्त किसी अन्य विषय को नामांतरण की कार्यवाही में विनिश्चित नहीं कराया जा सकता । नामांतरण, विधि के अधीन न जो हक प्रदान कर सकता है और न करता है । पक्षकार, विधि के अनुसार इसे सिविल

न्यायालय में स्थापित कर सकता है । नामांतरण की कार्यवाहियां संक्षिप्त रूप की है । अभिलिखित भूमिस्वामी द्वारा विक्रय की दशा में नामांतरण किया जाना चाहिये । व्यथित पक्षकार को हक के अवधारण के लिये सिविल न्यायालय में जाना चाहिये । नैसर्गिक उत्तराधिकारी के विरूद्ध दत्तक के दावे के मामले में भी, उसी प्रकार, दत्तक सिद्ध करने के लिये सिविल न्यायालय के अधिकारिता अभिनिर्धारित की गई है ।

7/ इस प्रकार मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा एवं प्रावधान में नामांतरण की पूरी प्रक्रिया से वर्णित है, किन्तु विचाराधीन प्रकरण में उक्त संहिता की धारा के अनुरूप भी कार्यवाही किया जाना नहीं पाया जाता। अतएव यदि मात्र नामांतरण करने की कार्यवाही किया जाना है तो उक्त धारा अथवा प्रावधान के प्रकाश में ही कार्यवाही की जा सकती है और यदि वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण कराये जाना अपेक्षित हो तो संबंधित पक्षकार तदानुसार नामांतरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।

8/ उपरोक्त व्याख्या के आलोक में प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है ।

(एस0एस0अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,